फर्द अहकाम

मंगलराम बनाम कैलाश वगै0

संख्या: 171 / 2022

क्र	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई दौराने बहस वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय डिक्री फरमाया जाकर वादी की वाद पत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर–1996 रकबा 1.5300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.6500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की भूमि खसरा नम्बर–260 रकबा 1.3100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 261 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–262 रकवा 0.2500 हैक्टेयर का पुख्ता सीमा निर्धारण किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 12 को तहरीर जारी फरमायी जावे। वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर– 1 व 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर–1996 रकबा 1.5300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.6500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर–260 रकबा 1.3100 हैक्टेयर व खसरा नम्वर 261 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–262 रकबा 0.2500 हैक्टेयर की पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये विना उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार की कोई बाउण्ड्रीवाल का निर्माण व तारबन्दी नहीं करें करावे तथा वादी व उसके सह खातेदारों का वाद पत्र में वर्णित उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जा व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करें करावे तथा मौके व रिकोर्ड की स्थित यथावत बनाये रखे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:36:09 IST
Reason: SelfAttested

2024

मंगलराम बनाम कैलाश वगै0

वाद संख्या 171 / 2022

बहस उभयपक्षाकरान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट एवं धारा 111 व 128 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षों की भूमि का ई0डी0एम0 मशीन से सीमाज्ञान होने के पश्चात सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाचिन्ह कायम होने के पश्चात प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की भूमि में दखल नही दे, स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:36:09 IST
Reason: SelfAttested